अध्याय 6

इमारती लकड़ी और अन्य वन-उपज पर शुल्क के संबंध में

धारा 39. इमारती लकड़ी और अन्य वन-उपज पर शुल्क आरोपित करने की शक्ति -

(1) केन्द्रीय सरकार ऐसी रीति से, ऐसे स्थानों में और ऐसी दरों पर, जैसी वह अधिसूचना द्वारा घोषित करें, उस सब इमारती लकड़ी या वन-उपज पर शुल्क उद्ग्रहीत कर सकेगी -

(क) जो उन राज्यों के क्षेत्रों, में जिन पर इस अधिनियम का विस्तार है, उत्पन्न होते हैं, और जिसके विषय में सरकार को कोई अधिकार प्राप्त है, या

(ख) जो उन नियमों के क्षेत्रों में, जिन पर इस अधिनियम का विस्तार है, बाहर के किसी स्थान से लाया जाता है।

(2) ऐसे हर मामले में, जिसमें ऐसे शुल्क की बाबत यह निर्दिष्ट किया गया है कि वह मूल्यानुसार उद्ग्रहीत की जावे, केन्द्रीय सरकार वैसी ही अधिसूचना द्वारा, वह मूल्य नियत कर सकेगी जिस पर ऐसा शुल्क निर्धारित होगा।

(3) इमारती लकड़ी या अन्य वनोपज पर जो शुल्क या उस समय, जब वह अधिनियम किसी राज्य क्षेत्र में प्रवृत्त होता है, राज्य सरकार के प्राधिकार के अधीन उसमें उद्ग्रहीत होते हैं, उन सबके बाबत यह समझा जावेगा कि वे इस अधिनियम में उपबन्धों के अधीन उद्ग्रहीत होते हैं, और सम्यक् रूप से उद्ग्रहीत रहे हैं।

(4) जब तक कि संसद (Parliament) द्वारा प्रतिकूलतः उपबन्ध नहीं किया जाता, राज्य सरकार इस धारा में किसी बात के होते हुए किसी भी शुल्क को लगातार उद्ग्रहीत कर सकेगी, जिसे वह संविधान के प्रारम्भ के पूर्व इस धारा के उस समय प्रवृत्त रूप में विधि पूर्णतः उद्ग्रहीत करती थी। परन्तु इस उपधारा की कोई बात ऐसे किसी शुल्क का उद्ग्रहण प्राधिकृत नहीं करती जो राज्य की इमारती लकड़ी या अन्य वन-उपज और राज्य के बाहर के स्थान की समरूप इमारती लकड़ी या अन्य उपज के पूर्व कथित के पक्ष में विभेद करती है, या जो राज्य के बाहर किसी स्थान की इमारती लकड़ी या अन्य वन-उपज के मामले में, किसी एक स्थान की इमारती लकड़ी या अन्य वन-उपज के बीच विभेद करता है।

टिप्पणी - इस धारा के अन्तर्गत केन्द्रीय सरकार इमारती लकड़ी या वनोपज पर शुल्क लगा सकती है, चाहे वह इस अधिनियम के क्षेत्र में उत्पन्न की गई हो। (देखें AIR 1965, Madhya Pradesh 215)।

धारा 40. सीमा सम्बन्धी उपबन्ध, क्रय धन या स्वामित्व के सम्बन्ध में लागू नहीं होगा - इस अध्याय की किसी बात की बाबत यह समझा जावेगा कि वह उस राशि को, यदि कोई हो तो जो किसी इमारती लकड़ी या अन्य वन-उपज पर क्रयधन या स्वामित्व के रूप में प्रभार्य है, सीमित करती, भले ही ऐसी इमारती लकड़ी या उपज के अभिवहन के दौरान उस पर रीति से उद्ग्रहीत होता है, जिसमें से शुल्क उद्ग्रहीत होता है।